

# कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

संचिका संख्या-2(गो०)सी० 02-29/17

/क०, पटना, दिनांक

2017

## आदेश

निबंधित  
ई०मेल०

जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा उपलब्ध कराया गया साक्ष्य अभिलेख के परिशीलन के बाद समाधान हो गया है कि नवीनगर थाना कांड संख्या-04/16, दिनांक-04.01.2016 धारा-409/420/34 भा०द०वि० अन्तर्गत के तहत प्राथमिकी अभियुक्त श्री राजेश कुमार शर्मा, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, नवीनगर के विरुद्ध धारा-409/420/34 भा०द०वि० प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजन के लिए प्रथम द्रष्टया मामला बनता है।

अतः एतद् द्वारा धारा-409/420/34 भा०द०वि० प्राथमिकी अभियुक्त श्री राजेश कुमार शर्मा, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, नवीनगर के प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ह०/-

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना

ज्ञापांक

/क०, पटना, दिनांक

2017

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक-324/विधि दिनांक 06.02.2017 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

कृषि निदेशक, बिहार, पटना

निबंधित

ज्ञापांक

/क०, पटना, दिनांक

2017

प्रतिलिपि- श्री राजेश कुमार शर्मा, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, नवीनगर, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

कृषि निदेशक, बिहार, पटना

ज्ञापांक

822

/क०, पटना, दिनांक

25/07/

2017

प्रतिलिपि- कृषि निदेशक के आप्त सचिव/निदेशक (प्र०)-सह-अपर सचिव/संयुक्त निदेशक (प्र०)/प्रशाखा पदाधिकारी-6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना  
24.7.17

17.07.17